सत्यमेव जयते

राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उ0प्र0

सहयोग सदन, 6–गोखले मार्ग, लखनऊ–226001

उ0प्र0रा0वि0प0 आदेश सं0 8022-F(IR-I)90H/73 दि0 28.12.74 द्वारा मान्यता प्राप्त

सोसाइटीज रजि0 अधिनियम 1860 में पंजीकरण संख्या 2672 दिनांक 08-09-1981

(आल इंडिया फेडरेशन आफ पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स से सम्बद्ध)

email:-sachivrvpjes@gmail.com Website:-www.rvpjes.org

पत्रांकः 56 / डी0जी0–11 दिनांकः07.03.2026

सेवा में,

अध्यक्ष महोदय
उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लि0
शक्ति भवन, लखनऊ।

विषयः– परिचालकीय संवर्ग के कार्मिकों को प्रभारी अवर अभियंता बनाए जाने की बेनियम एवं विसंगतिपूर्ण व्यवस्था को अतिशीघ्र समाप्त किए जाने के संबंध में।

संदर्भः– (1) पावर कारपोरेशन लि0 का पत्रांक–I / 32102 / 2025 दिनांक 26.11.2025
(2) द0वि0वि0नि0लि0 का कारपोरेशन सं–128 / प्र0नि0 / का0प्र0 / अ0अ0–1 दिनांक 14.01.2026
(3) म0वि0वि0नि0लि0 का प्रत्रांक–52–प्र0नि0 / मविविनिलि / ई–3 / अवर अभियन्ता(प्रभारी) दिनांक 17.01.2026

महोदय,

आप सादर भिज्ञ है कि कॉरपोरेशन में अवर अभियंताओं की अत्यधिक कमी के दृष्टिगत परिचालकीय संवर्ग के कार्मिकों को प्रभारी अवर अभियंता नामित किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में निम्न महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर आपका ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ :–

1. उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में लागू अवर अभियंता सेवा नियमावली के अंतर्गत अवर अभियंता का दायित्व विद्युत आपूर्ति की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ–साथ विभिन्न महत्वपूर्ण तकनीकी एवं वित्तीय कार्यों का निष्पादन करना है, जैसे– सामग्री का आदान–प्रदान, कार्यों का प्राक्कलन (Estimate) तैयार करना, मापन (Measurement) करना तथा उसके आधार पर बीजक (Bill), तैयार करना, विद्युत चोरी रोकना, राजस्व वसूली आदि।
2. अवर अभियंता को विभाग द्वारा निर्धारित तकनीकी, वित्तीय एवं अधिष्ठान संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के उपरांत ही विभिन्न आकस्मिक, संवेदनशील एवं जोखिम भरे कार्यों का दायित्व सौंपा जाता है। साथ ही कॉरपोरेशन में लागू ईआरपी प्रणाली एवं विभिन्न ऑनलाइन पोर्टलों पर कार्य संपादन भी उसकी जिम्मेदारियों में सम्मिलित है।
3. ऐसे संवेदनशील एवं उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों को परिचालकीय संवर्ग के कार्मिकों से प्रभारी अवर अभियंता पदनाम देकर कराया जाना अवर अभियंता सेवा नियमावली, 1972 के प्रावधानों तथा विभिन्न वित्तीय नियमों का प्रत्यक्ष अतिक्रमण एवं उल्लंघन है।
4. बड़े पैमाने पर इस प्रकार की दोषपूर्ण व्यवस्था लागू किए जाने से विभागीय कार्य प्रणाली की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इससे न केवल कॉरपोरेशन की छवि प्रभावित होगी, बल्कि अवर अभियंता संवर्ग की छवि एवं कार्यकुशलता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है।
5. यह भी अवगत कराना समीचीन होगा कि वर्ष 2018 में भी कॉरपोरेशन में प्रभारी अवर अभियंता की व्यवस्था लागू की गई थी, जिसे व्यापक अनियमितताओं एवं कार्य की गुणवत्ता में आई भारी गिरावट के कारण शीघ्र ही समाप्त कर दिया गया।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उपर्युक्त तथ्यों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए **कॉरपोरेशन के व्यापक हित में प्रभारी अवर अभियंता की इस विसंगतिपूर्ण एवं बेनियम व्यवस्था को तत्काल समाप्त कराए जाने तथा अवर अभियंता के बड़ी संख्या में रिक्त पदों को सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति के माध्यम से यथाशीघ्र भरे जाने हेतु** संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान करने की कृपा करें। जिससे प्रदेश सरकार एवं ऊर्जा प्रबंधन की मंशा के अनुरूप विभाग में स्वच्छ, पारदर्शी एवं दक्ष कार्य प्रणाली सुनिश्चित हो सके।

सादर,

Patel

(इं0 गोपाल वल्लभ पटेल)
केन्द्रीय अध्यक्ष

पत्रांक : / डी0जी0–11 तददिनांक :

प्रतिलिपि सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
3. कट फाइल / कार्यालय फाइल।

(इं0 गोपाल वल्लभ पटेल)
केन्द्रीय अध्यक्ष

(1)

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

CIN: U31200UP2003SGC027460

Helpline No. 1912, WhatsApp No. 8010957826

उ0प्र0 सरकार का उपक्रम

सं0– 128 /प्र0नि0/का0प्र0/अ0अ0–1/ दिनांक 14/01/2026

विषयः– विद्युत वितरण उपकेन्द्र स्तर पर अवर अभियन्ता की अनुपलब्धता की स्थिती में वैकल्पिक व्यवस्था के अर्न्तगत तकनीशियन ग्रेड को वरिष्ठता, श्रेष्ठता एवं उपयोगिता के आधार पर अवर अभियन्ता (प्रभारी) के दायित्व प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

मुख्य अभियन्ता (वितरण),
द0वि0वि0नि0लि0,
आगरा/अलीगढ़/एटा/फिरोजाबाद/मथुरा/कानपुर–I/कानपुर–II

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि कारपोरेशन के पत्रांक–I/32102/2025 दिनांक 26.11.2025 द्वारा विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन कराये जाने हेतु अवर अभियन्ताओं की 33/11 के0वी0 विद्युत वितरण उपकेन्द्र में कमी के दृष्टिगत टी0जी0–2 (विद्युत) को वरिष्ठता एवं उपयोगिता के आधार पर अवर अभियन्ता (प्रभारी) का दायित्व दिये जाने हेतु प्रस्ताव शीघ्र कारपोरेशन को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था।

इस सम्बन्ध में आपके द्वारा टी0जी0–2 (विद्युत) को अवर अभियन्ता (प्रभारी) का दायित्व दिये जाने हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किये गये है। प्राप्त प्रस्ताव में कारपोरेशन मुख्यालय द्वारा निर्धारित संलग्न प्रारूप में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत तैनात टी0जी0–2 (विद्युत) जिनको अवर अभियन्ता (प्रभारी) का दायित्व दिया जाना है, संलग्न एक्सेल में उपलब्ध सॉफ्ट कापी में रिक्त कॉलमों को भरकर एवं उपलब्ध डाटा को अभिलेखों से मिलान करते हुए सॉफ्ट कॉपी इस कार्यालय की ईमेल– ee.admin@dvvnl.org पर यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्न–Excel soft copy</u>

(विकास सिंघल)
मुख्य अभियन्ता (मा0सं0 एवं का0प्र0)

मध्यॉंचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

प्रधान कार्यालय, 4–ए, गोखले मार्ग, लखनऊ

E-mail : se.hr@mvvnl.org

पत्रांक : 52–प्रनि/मविविनिलि/ई–3/अवर अभियन्ता(प्रमारी) दिनाँक : 17·01· 2026

विषय : तकनीशियन को अवर अभियन्ता(प्रमारी) के रूप में तैनात किये जाने के सम्बन्ध में।

ई–मेल मुख्य अभियन्ता(वितरण)
सीतापुर क्षेत्र/रायबरेली क्षेत्र/अयोध्या क्षेत्र/
बरेली क्षेत्र–प्रथम/बरेली क्षेत्र–द्वितीय, देवीपाटन क्षेत्र,
म0वि0वि0नि0लि0।

कृपया उपरोक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(हाइडिल), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के पत्र संख्याः I/36696/2026/Comp No 91250/CE(H)/PA-2/E-7 दिनांक 06.01.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा प्रेषित 208 तकनीशियन कार्मिकों को अवर अभियन्ता(प्रभारी) के रूप में तैनात किये जाने के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान कर दी गई है :–

- कि यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी (अंतरिम) प्रकृति की है तथा इसके आधार पर संबंधित कार्मिक का किसी प्रकार का कोई अधिकार अर्जित नहीं माना जाएगा।
- यह व्यवस्था दिनांक 31 मार्च 2027 तक अथवा उससे पूर्व अथवा इस संबंध में कोई अन्य आदेश पारित किए जाने तक, इनमे से जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी।

अतः निर्देशित किया जाता है कि संलग्न सूची में अपने क्षेत्र से संबंधित तकनीशियन कार्मिकों को उपरोक्त शर्तों के अधीन अवर अभियन्ता(प्रभारी) का चार्ज देने सम्बन्धी आदेश अपने स्तर से निर्गत करते हुए, इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोपरि।

17/01/26

(विनोद कुमार मिश्र)
निदेशक(का0 एवं प्रशा0)

पत्रांक : –प्रनि/मविविनिलि/ई–3/तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– शिविर, प्रबन्ध निदेशक, म0वि0वि0नि0लि0, लखनऊ।
2– मुख्य अभियन्ता(मा0सं0प्रशा0– I), म0वि0वि0नि0लि0, लखनऊ।

(विनोद कुमार मिश्र)
निदेशक(का0 एवं प्रशा0)